दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आदेश की तिथि : 11 जुलाई, 2023

सि.पु.या. 172/2023 व सि.वि.आ. 34505/2023 व सि.वि आवे. 34506/2023

सुभाष मेंदिरत्ता .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री सोनाली मल्होत्रा, अधिवक्ता

बनाम

सुरेश मेंदिरत्ता .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरमः
माननीय न्यायाधीश श्री चंद्र धारी सिंह

<u>आदेश</u>

<u>चंद्र धारी सिंह, न्या. (मौखिक)</u>

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत वर्तमान पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता की ओर से निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई हैः

> *"अतः, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत सविनय प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय सुश्री किरणदीप कौर, विद्वान सिविल न्यायाधीश-05, केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायलय, दिल्ली के विचारण न्यायालय द्वारा 2016 के सीएस*

एससीजे संख्या 596665 शीर्षक सुरेश मेंदीरत्ता बनाम सुभाष मेंदीरत्ता में दिनांक 13.03.2023 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने की कृपा करें जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश 12 नियम 6 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने की कृपा की एवं याचिकाकर्ता की वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को जुर्माने के साथ अनुमति दी, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश 12 नियम 6 के तहत दायर आवेदन की अनुमति दी गई और प्रत्यर्थी द्वारा दायर किए गए वाद को न्याय के हित में खारिज कर दिया गया।

इस तरह के अन्य या अतिरिक्त आदेश जो इस माननीय न्यायालय को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त प्रतीत हो, उन्हें भी याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रत्यर्थी के खिलाफ न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पारित किया जाए।

<u>तथ्यात्मक पहलू</u>

2. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा संपत्ति संख्या 2446, हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैंप, दिल्ली के भूतल एवं तृतीय तल के हिस्से के संबंध में एक व्यादेश वाद दायर किया गया था।

3. प्रत्यर्थी ने श्रीमती गीता देवी और श्री खेम चंद के पुत्र होने का दावा किया और श्रीमती गीता देवी के निधन पर, उन्हें उक्त संपत्ति विरासत में मिली थी, जहां याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी के रूप में रह रहे थे। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त लाइसेंस को समाप्त करने पर, उन्होंने याचिकाकर्ता के लिए संपत्ति खाली करने के लिए विचारण न्यायालय से निर्देश मांगे। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं जिसमें कहा गया कि वह प्रत्यर्थी का असली भाई है और प्रत्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्री लोचा राम का सगा बेटा है, न कि श्रीमती

गीता देवी, जो श्रीमती लक्ष्मी देवी की सगी बहन और उपरोक्त संपत्ति की मालकिन थी। श्रीमती गीता देवी ने अपने जीवनकाल में श्रीमती लक्ष्मी देवी के पक्ष में उक्त संपत्ति की वसीयत करने के लिए दिनांक 8 फरवरी 2008 की अपनी वसीयत निष्पादित की थी।

4. श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने जीवनकाल के दौरान प्रत्यर्थी के खिलाफ कब्जे, अंतःकालीन लाभ एवं स्थायी व्यादेश हेतु एक वाद दायर किया था और श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा प्रत्यर्थी के डीएनए परीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया गया था ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या वह श्रीमती गीता देवी और श्री खेम चंद का पुत्र है या वह श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्री लोच राम का पुत्र है। दोनों पक्षों द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने पर, उन्हें डीएनए परीक्षण करने के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

5. आठ महीने बाद, प्रत्यर्थी ने एक आवेदन दायर किया जिसमें डीएनए परीक्षण करने का निर्देश देने वाले आदेश को अभिखंडित करने की मांग की गई और उस की अनुमति दी गई और उसके लिए दायर एक पुनर्विलोकन आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद श्रीमती लक्ष्मी देवी ने उक्त आदेश के खिलाफ सिविल विविध मुख्य याचिका संख्या 1202/2019 दायर की, जिसके बाद दोनों पक्षों को दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा डीएनए परीक्षण के लिए अपने रक्त के नमूने उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पुनर्विलोकन हेतु प्रत्यर्थी आवेदन को भी खारिज कर दिया गया।

6. इसके बाद, पक्षकार केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के समक्ष उपस्थित हुए और अपने संबंधित रक्त नमूने दिए। दिनांक 3 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्री लोचा राम का पुत्र है और श्रीमती गीता देवी और श्री गीता देवी और श्री खेम चंद का पुत्र नहीं है ।

7. इसके बाद, श्रीमती लक्ष्मी देवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित व्यादेश वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश XII नियम 6 के

तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन विचाराधीन रहने के दौरान, उनकी मृत्यु हो गई।

8. याचिकाकर्ता (लक्ष्मी देवी के पुत्र) ने यहां सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश XII नियम 6 के तहत इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि 3 फरवरी 2020 के डीएनए ने माता-पिता के प्रश्न का समाधान किया और आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं थी विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13 मार्च 2023 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त डीएनए रिपोर्ट को विधिवत साबित किया जाना है और इसे इस स्तर पर वाद पर निर्णय लेने के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उक्त प्रश्न को केवल विचारण चरण के दौरान ही निपटाया जा सकता है।

9. आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>प्रस्तुतियाँ</u>

10. यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश तात्विक तत्वों को ध्यान में रखने में विफल रहा और न्यायालय इसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा और इसलिए आदेश को अपास्त किया जाए।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह स्वीकार करने में विफल रहा कि जनकता के संबंध में विवाद वाद का आधार बनता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी ने श्रीमती गीता देवी और श्री खेम चंद का जैविक पुत्र होने का दावा केवल संबंधित संपत्ति को गलत तरीके से छीनने के लिए किया है।

12. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा दायर वाद में डीएनए परीक्षण करने का आदेश दिया था। उसी की रिपोर्ट से पता चला कि प्रत्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्री लोच राम का असली बेटा है।

विचारण न्यायालय ने परीक्षण रिपोर्ट को निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माना और इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश XII नियम 6 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने ***रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी व अन्य 2012 एआईआर डेल 151*** के साक्ष्य सम्बन्धी मूल्य पर विस्तार से चर्चा की। निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"24. यहां तक कि भारत का संविधान, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करते हुए, अनुच्छेद 51-क(ज) व ञ) द्वारा यह घोषित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जांच और सुधार की भावना विकसित करे और उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे, ताकि वह उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। हमें आश्चर्य होता है कि जब न्यायनिर्णयन के आधुनिक साधन उपलब्ध हों, तो क्या न्यायालयों को अपने हठधर्मिता से बाहर निकलने से इनकार करना चाहिए और वादियों के लिए दुख सहने पर लंबे मार्ग का पालन करने पर जोर देना चाहिए। इसका जवाब स्पष्ट रूप से नहीं होना चाहिए। न्यायालय न्याय करने के लिए, प्रतिद्वंद्वी दावों पर निर्णय लेने और सच्चाई का पता लगाने के लिए हैं, न कि सदियों पुरानी प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए जब नए, बेहतर तरीके उपलब्ध हों।*

14. ***दीपानविता रॉय बनाम रोनोब्रोटो रॉय (2015) 1 एससीसी 365*** मामले का अवलंब लेते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि डीएनए रिपोर्ट संबंधित पक्ष की जनकता के प्रश्न को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सबूत है। इसी कारण से, यह तर्क दिया गया है कि डीएनए रिपोर्ट के औपचारिक प्रमाण के संबंध में प्रक्रिया का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परीक्षण रिपोर्ट के तथ्य को

किसी भी पक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। वर्तमान मामले के संबंध में, डीएनए रिपोर्ट होने का वैज्ञानिक प्रमाण सीएफएसएल द्वारा रक्त के नमूनों के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया था जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत किसी भी लेखन या हस्ताक्षर के तुलनात्मक परीक्षण से भिन्न है।

15. यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एआईआर 2000 एससी 2740, चरणजीत लाल मेहरा व अन्य बनाम कमल सरोज महाजन एआईआर 2005 एससी 2765 और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मचाडो ब्रदर्स व अन्य (2004) 11 एससीसी 168** ने अभिनिर्धारित किया कि वाद विचाराधीन रहने पर, यदि बाद में कोई महत्वपूर्ण विकास होता है और वाद का निपटारा किया जा सकता है, तो न्यायालय को वाद पर तुरंत निर्णय लेने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत संज्ञान लेना होगा। इसलिए, वर्तमान वाद में डीएनए रिपोर्ट एक बाद का विकास है जो उक्त वाद का आधार है एवं ऊपर उल्लिखित निर्णयों को देखते हुए, वर्तमान वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 के तहत खारिज किये जाने के लिए उत्तरदायी है

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

<u>विश्लेषण</u>

17. याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों से निपटने से पहले, संहिता के आदेश XII नियम 6 की प्रकृति और दायरे की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। उक्त प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *" **[6. स्वीकृतियों पर निर्णय**–(1) जहाँ अभिवचन में या अन्यथा; चाहे मौखिक रूप में या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं वहां न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी*

पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर और पक्षों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना, ऐसा आदेश दे सकता है या ऐसा निर्णय दे सकता है जो वह उचित समझे। (2) जब भी उपनियम (1) के तहत कोई निर्णय सुनाया जाता है तो निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तिथि होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था।]"

18. उपरोक्त प्रावधान में, *"हो सकता है"* शब्द संहिता के आदेश XII नियम 6 के संबंध में आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि उपरोक्त प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है न कि एक अनिवार्य प्रावधान।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **'हिमानी एलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील्स 2011 15 एससीसी 273'** के मामले में उक्त पहलू पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया -

"11. यह सच है कि एक बैठक के कार्यवृत्त में निहित "स्वीकृति" पर निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन स्वीकृति स्पष्ट होनी चाहिए। यह पक्षकार का एक सचेत एवं जानबूझकर किया गया कार्य होना चाहिए, जो इसके द्वारा बाध्य होने का इरादा दिखाता है। आदेश 12 नियम 6 एक समर्थकारी उपबंध होने के कारण यह न तो अनिवार्य है और न ही स्थायी है बल्कि विवेकाधीन है। न्यायालय, तथ्यों की जांच करने पर और परिस्थितियों को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, यह ध्यान में रखते हुए कि स्वीकृति पर एक निर्णय विचारण के बिना एक निर्णय है जो स्थायी रूप से प्रत्यर्थी को किसी भी गुणागुण पर अपील के माध्यम से, उपाय से इनकार करता है। इसलिए जब तक स्वीकृति स्पष्ट, असंदिग्ध एवं बिना शर्त नहीं है, तब तक दावे का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी के मूल्यवान अधिकार से इनकार करने के लिए

न्यायालय के विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में, विवेक का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब एक स्पष्ट "स्वीकृति" हो जिस पर कार्रवाई की जा सके ”

20. इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए तर्क पर निर्णयों की श्रृंखला में इस आधार का अवलंब लिया गया है और यह विधि के एक सुस्थापित सिद्धांत के रूप में उभर कर आया है। ***एस. एम. आसिफ बनाम विरेन्द्र कुमार बजाज (2015) 9 एससीसी 287*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की उक्त स्थिति पर फिर से जोर दिया और अभिनिर्धारित किया किः

“8. आदेश 12 नियम 6 सि.प्र.सं. में शब्द "हो सकता है" और "ऐसा आदेश दे सकता है". यह दर्शाता है कि आदेश 12 नियम 6 सि.प्र.सं. के तहत विवेकाधीन शक्ति है और अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। स्वीकृति पर निर्णय अधिकार का मामला नहीं है और बल्कि न्यायालय के विवेक का मामला है। जहाँ प्रतिवादियों ने आपत्तियां उठाई हैं जो मामले की जड़ तक जाती हैं, वहाँ आदेश 12 नियम 6 सि.प्र.सं. के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। उक्त नियम एक सक्षम प्रावधान है जो न्यायालय को स्वीकृति पर त्वरित निर्णय देने और अपने प्रतिद्वंद्वी के दावे के पक्षों में से एक द्वारा स्वीकार किए गए दावे की सीमा तक विवेक प्रदान करता है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि पक्षकार अधिकार के मामले के रूप में स्वीकृति पर निर्णय का दावा नहीं कर सकते हैं, बल्कि न्यायालयों को मामले के तथ्यों पर गौर करने और उक्त प्रावधान में आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा करने के आधार पर उक्त आवेदन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

21. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता ने डीएनए रिपोर्ट के साक्ष्य सम्बन्धी मूल्य को स्थापित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, लेकिन किसी भी प्राधिकरण का स्पष्ट रूप से यह मानने में विफल रहा है कि विशेषज्ञ साक्ष्य के बिना डीएनए रिपोर्ट न्यायालय में स्वीकार्य हो सकती है।

22. **राजली बनाम कपूर सिंह 2013 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 25166'** के मामले में पंजाब और हरियाणा न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और अभिनिर्धारित किया किः

> *126.....मैंने उपरोक्त के आलोक में पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार किया है। वर्तमान परिदृश्य में, अपराध की जांच और सिविल कार्यवाही में जैविक साक्ष्य का व्यापक उपयोग किया जाता है। डीएनए साक्ष्य ने बहुत महत्व और विधिक मान्यता अर्जित कर ली है। वास्तव में, डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक, 2007 संसद में लंबित है। तथ्य यह है कि इस तरह का विधेयक पेश किया गया है, यह स्वयं डीएनए साक्ष्य की आवश्यकता और महत्व को दर्शाता है। वैज्ञानिक जांच समय की आवश्यकता है और इसे किया जाना चाहिए। डीएनए परीक्षण एक वैज्ञानिक परीक्षण है और इसकी सटीकता 99.99% है और इस तरह इसका उपयोग न केवल यौन उत्पीड़न और हिंसक अपराध के मामलों में, बल्कि जनकता के प्रश्न एवं उतराधिकार के परिणामी प्रश्न से जुड़े सिविल मामलों में भी सबूत के रूप में किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 9 तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है और इन प्रावधानों के अनुसार डीएनए परीक्षण के परिणाम को निश्चित रूप से प्रासंगिक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।*
>
> *यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि सभी प्रासंगिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य हैं। इसके अलावा*

डीएनए परीक्षण का परिणाम विशेषज्ञ साक्ष्य से संबंधित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञ की राय और ऐसे विज्ञान में विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की उस रिपोर्ट पर राय बनाने की न्यायालय की शक्ति को नियंत्रित करती है। धारा 46 उन तथ्यों को संदर्भित करती है जो विशेषज्ञ राय पर असर डालते हैं धारा 51 उन आधारों को संदर्भित करती है जब राय प्रासंगिक हो जाती है। विशेषज्ञ की राय वैज्ञानिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर सीमाओं के अधीन है। न्यायालय देखेगा कि विशेषज्ञ गवाही तर्क या विधि वैज्ञानिक रूप से मान्य है और मुद्दे के लिए प्रासंगिक है। स्वीकार्यता इन कारकों पर निर्भर करेगी जैसे कि (1) सिद्धांत या तकनीक का परीक्षण किया जा सकता है या नहीं; (2) क्या सिद्धांत या तकनीक को सहकर्मी समीक्षा (पियर रिव्यु) और प्रकाशन के अधीन किया गया है; (3) त्रुटि की ज्ञात या संभावित दर; (4) तकनीक के संचालन को नियंत्रित करने वाले मानकों का अस्तित्व और रखरखाव; और (5) क्या सिद्धांत या तकनीक को आम तौर पर वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार किया जाता है।

23. समन्वय पीठ ने उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि डीएनए रिपोर्ट के परिणाम को विशेषज्ञ साक्ष्य से संबंधित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उसी के द्वारा, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या उक्त विशेषज्ञ गवाही या विधि वैज्ञानिक रूप से मान्य है और मुद्दे के लिए प्रासंगिक है। इसलिए, डीएनए रिपोर्ट केवल निर्णायक साक्ष्य के रूप में गठित नहीं हो सकती है और परीक्षण के दौरान विशेषज्ञ की ओर से उक्त रिपोर्ट की वैधता की गवाही देने की आवश्यकता है।

24. वर्तमान आवेदन में, इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा आदेश XII नियम 6 के तहत पूर्व शर्त के संबंध में बचा है। ***दिल्ली जल बोर्ड बनाम सुरेंद्र पी***

मलिक 2003 एससीसी ऑनलाइन डेल 292, के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> *"8. यह प्रावधान न्यायालय को वाद में त्वरित निर्णय देने के लिए लगभग व्यापक शक्तियां प्रदान करता है ताकि पक्षकारों को एक लंबे विचाराण की धांधली झेलने से बचाया जा सके। इसके लिए एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि वाद में उत्पन्न होने वाले तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे वह अभिवचन में हो या अन्यथा या मौखिक वाद से या लिखित वाद में। तथ्यों की इस तरह की स्वीकृति स्पष्ट और असंदिग्ध, बिना शर्त और असंदिग्ध होनी चाहिए और पूरे दावे या इसके एक हिस्से से संबंधित हो सकती है। इन्हें विशेष रूप से या स्पष्ट रूप से किए जाने की आवश्यकता नहीं है और ये रचनात्मक स्वीकृति भी हो सकते हैं। विचारण में ऐसा स्वीकार किया गया या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि इसमें विवादित तथ्य, दावे और जवाबी दावे शामिल हैं जिनमें मुद्दों के निर्धारण के लिए पक्षों के साक्ष्य की आवश्यकता होती है या जहां किसी पक्ष के बचाव ने मामले की जड़ को छुआ है, तो आदेश 12 नियम 6 के तहत निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि विचारण में जाने का मूल्यवान अधिकार तब तक पक्ष से नहीं लिया जा सकता है जब तक कि दावा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए, न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला गया था कि वह तथ्यों की स्वीकृति का पता लगाए और पूरे दावे या उसके एक हिस्से के संबंध में इन पर निर्णय दे। न्यायालय अपने दम पर या किसी पक्ष के आवेदन पर और पक्षों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसा कर सकता है। यह वाद के किसी भी स्तर पर ऐसा कर सकता है। प्रावधान के दायरे से निपटने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तम सिंह दुग्गई बनाम संघ, एआईआर 2000 एससी 2740 में कहाः–*

"जहाँ एक दावा स्वीकार किया जाता है, न्यायालय के पास अभियोक्ता के लिए निर्णय पारित करने और स्वीकार किए गए दावे पर एक डिक्री पारित करने का अधिकार क्षेत्र होता है। नियम का उद्देश्य पक्ष को कम से कम उस हद तक त्वरित निर्णय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिस हद तक प्रतिवादी की स्वीकृति के अनुसार, वादी हकदार है। हमें इस नियम के अर्थ को अनावश्यक रूप से संकुचित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य एक पक्ष को त्वरित निर्णय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। जहाँ दूसरे पक्ष ने पूर्व को सफल होने का अधिकार देते हुए एक सामान्य स्वीकार किया है, वहाँ उसे लागू होना चाहिए और जहाँ भी उन तथ्यों की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है जिनके सामने इस तरह की स्वीकारोक्ति करने वाले पक्ष के लिए सफल होना असंभव है।"

9. इस वाद में, परीक्षण यह है कि (i) वाद में तथ्य की स्वीकृति उत्पन्न होती है या नहीं, (ii) क्या ऐसी स्वीकृति स्पष्ट, और सुबोध हैं, (iii) क्या बचाव पक्ष ऐसा है कि उसे मुद्दों के निर्धारण के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है और (iv) क्या निर्णय देने के खिलाफ उठाई गई आपतियां ऐसी हैं जो मामले के मूल तक जाती हैं या क्या ये असंगत हैं जो पक्ष के मुकदमे को सफल होना असंभव बनाती है, भले ही उन पर विचार किया जाए। यह मायने नहीं रखता कि निर्णय किस स्तर पर माँगा जाता है या क्या तथ्य की स्वीकृति अभिवचनों में स्पष्ट रूप से पाई जाती है या नहीं क्योंकि इस तरह की स्वीकृतियां त्वरित निर्णय देने के उद्देश्य से रचनात्मक रूप से भी एकत्र किए जा सकते हैं।"

25. उपरोक्त के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि सि.प्र.सं. के आदेश XII नियम 6 के तहत एक डिक्री पारित करना वाद में उत्पन्न होने वाले तथ्य की स्वीकृति की पूर्व शर्त है जो स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। इस वाद में, यह देखना अनिवार्य है कि क्या प्रत्यर्थी ने इसमें एक ऐसे तथ्य को स्वीकार किया है जिस पर आदेश XII नियम 6 के तहत मुकदमे को खारिज करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। आक्षेपित आदेश में, विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित प्रकार से दियाः

> *"5. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली जल बोर्ड बनाम सुरेंद्र पी. मलिक 104 (2003) डीएलटी 151 (डीबी) शीर्षक वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 12 नियम 6 सि.प्र.सं. के तहत डिक्री पारित करने के लिए एकमात्र पूर्व आवश्यकता यह है कि वाद में उत्पन्न होने वाले तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे वह अभिवचनों में हो या अन्यथा या मौखिक या लिखित रूप में और स्वीकृति स्पष्ट और सुबोध, बिना शर्त और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रवेश विशेष रूप से या स्पष्ट रूप से किए जाने की आवश्यकता नहीं है और यह एक रचनात्मक प्रवेश भी हो सकता है।*
>
> *6. वर्तमान आवेदन में प्रत्यर्थी ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर राहत की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि सुरेश मेंदीरत्ता श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्री लोच राम के पुत्र हैं और श्रीमती गीता देवी और खेमचंद के पुत्र नहीं हैं। यह कहा गया है कि वादी खुद को गीता देवी और खेम चंद का पुत्र होने का दावा करता है और श्रीमती गीता देवी और खेम चंद के पुत्र होने के नाते संपत्ति विरासत में मिली है।*

7. प्रत्यर्थी ने डीएनए साक्ष्य के साक्ष्य संबंधी मूल्य को दर्शाने हेतु विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है। यह उल्लेख करना उचित है कि डीएनए रिपोर्ट हालांकि वैज्ञानिक साक्ष्य है और इसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं। लेकिन इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत साबित करना होगा। उक्त डीएनए रिपोर्ट को अभियोक्ता की ओर से स्वीकारोक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, इस स्तर पर वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मुकदमे का निर्णय नहीं किया जा सकता है। डीएनए रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य की सराहना तभी की जा सकती है जब पक्षकारों द्वारा डीएनए रिपोर्ट के साक्ष्य का नेतृत्व किया जाए। इसके अलावा, अभियोक्ता द्वारा अपनी दलीलों में उक्त तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है। तदनुसार, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर इस स्तर पर वाद में डिक्री पारित नहीं की जा सकती।"

26. उपरोक्त पैरा के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने कोई स्वीकारोक्ति नहीं की है और विद्वान विचारण न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट के साक्ष्य संबंधी मूल्य के प्रश्न पर आवेदन को खारिज नहीं किया, बल्कि प्रक्रियात्मक पहलू पर आवेदन को खारिज कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डीएनए रिपोर्ट को न्यायालयों द्वारा भौतिक साक्ष्य माना जाता है। डीएनए रिपोर्ट के साक्ष्य संबंधी मूल्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला में बरकरार रखा गया है, लेकिन वर्तमान याचिका में, आदेश XII नियम 6 के तहत एक डिक्री पारित करने के लिए पक्षों की ओर से एक पूर्व शर्त के रूप में स्वीकृति की आवश्यकता होती है और यही प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया गया है।

<u>निष्कर्ष</u>

27. तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन पर, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा पूरी तरह से डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे को खारिज करने के लिए दायर आवेदन को

सही ढंग से खारिज कर दिया, जिसे विचारण के चरण में पक्षकारों द्वारा सबूत के रूप में प्रस्तुत किया अभी शेष है।

28. इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि लंबित वाद को खारिज करने की याचिका को केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है और दोनों पक्षों के तथ्य को स्वीकार करने या दूसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों का विरोध करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

29. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वगामी पैराग्राफ में चर्चा और विश्लेषण, यह न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को पुनरीक्षित नहीं कर सकता है। सि.प्र.सं. की धारा 115 के अंतर्निहित उद्देश्यों के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के प्रयोग में मनमाने ढंग से, अवैध रूप से या अनियमित रूप से कार्य करने से रोकना है, जो वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई मामला नहीं है।

30. तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका, गुणागुण से रहित होने के कारण, लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज की जाती है।

31. आदेश को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए

चंद्र धारी सिंह, न्या.

11 जुलाई, 2023
जीएस/एमएस/एवी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*